

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 1954/2026

नय्यर उर्फ बंगाली

..... आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: - सुख देव सिंह
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	: - शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत जमानत आवेदन अभियुक्त- आवेदनकर्ता द्वारा थाना- धम्मौर, जनपद- सुल्तानपुर में पंजीकृत वाद अपराध संख्या 67/2025, अंतर्गत धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि गैंग चार्ट में आवेदक के विरुद्ध केवल एक मामले का उल्लेख किया गया है, जिसमें उसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है, जिसकी प्रति जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र के संलग्नक संख्या-3 के रूप में संलग्न की गई है। सह-अभियुक्त मिन्हाज खान को समन्वय पीठ द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 397/2026 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2026 के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है। आवेदनकर्ता दिनांक 10.07.2026 से जेल में निरुद्ध है।

अस्वीकरण:
“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकताओं के अनुरूप वचनबंध प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के न्यायिक अभिरक्षा से फरार होने या गवाहों को डराने-धमकाने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदनकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत के आवेदन का विरोध किया, किंतु वह आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

इस तथ्य पर सम्यक विचार करते हुए कि आवेदक दिनांक 10.07.2026 से जेल में निरुद्ध है; आवेदनकर्ता को गैंग चार्ट में दर्शाए गए एकमात्र मामले में जमानत पर रिहा किया जा चुका है और जिसका विवरण जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र में विधिवत दिया गया है; सह-अभियुक्त को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है; अतः मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए इसे एक उपयुक्त मामला समझता हूँ।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

आवेदनकर्ता - **नैयर उर्फ बंगाली**, जो उपरोक्त अपराध संख्या/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय के संतोषानुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नवत शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए, जो न्याय के हित में यहां अधिरोपित की जा रही हैं:-

- (i) आवेदनकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ हेर फेर नहीं करेगा।
- (ii) आवेदनकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा और न ही उन्हें डराएगा-धमकाएगा।
- (iii) आवेदनकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, ताकि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे, और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।
- (iv) आवेदनकर्ता इस आशय का एक वचनबंध दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(v) आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकता के अनुसार एक वचनबंध भी दाखिल करेगा कि वह किसी भी मामले में संलिप्त नहीं होगा और न ही जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

(vi) आवेदनकर्ता नियत प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

(vii) यदि आवेदनकर्ता विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है एवं आवेदनकर्ता ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

मार्च 30, 2026

शुक्ला

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”